

बिहार कर्मचारी चयन आयोग,
पो0-वेटनरी कॉलेज, पटना-14

ज्ञापांक:- 3953/2010
प्रेषित,

पटना, दिनांक:- 27/09/23

1. श्री दीपक कुमार, कनीय अभियंता (असैनिक), ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-पुपरी, जिला-सीतामढ़ी। (स्थायी पता-पिता-श्री हरिनन्दन पासवान, ग्राम-नारायण विगहा, पो0+थाना-घोसी, जिला-जहानाबाद)।
2. श्री राजीव रंजन वर्मा, कनीय अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल-शेरघाटी। (स्थायी पता-पिता-श्री रामाऔतार प्रसाद, ग्राम-मुडला विगहा, पो0-सतनाग, थाना-चंडी, जिला-नालन्दा)।
3. श्री तरुण कुमार, कनीय अभियंता (असैनिक), जल संसाधन विभाग, शोध एवं प्रशिक्षण, प्रमंडल-1, खगौल, पटना। (स्थायी पता-पिता-स्व0 रामचन्द्र सिंह, मकान सं0-305, रोड नं0-21डी0, राजीव नगर, पो0-केसरी नगर, जिला-पटना)।
4. श्री विनय कुमार, कनीय अभियंता (असैनिक), जल संसाधन विभाग, शोध एवं प्रशिक्षण, प्रमंडल-3, खगौल, पटना। (स्थायी पता-पिता-स्व0 राजा बाबू कैडवरी आईस्क्रीम फैक्टरी, राजापुर पेट्रॉल पम्प के पीछे, पो0-जी0पी0ओ0, थाना-बुद्धा कॉलोनी, जिला-पटना)।
5. श्री अरविन्द कुमार, कनीय अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, लघु सिंचाई, प्रमंडल-नवादा। (स्थायी पता-पिता-श्री रघुवंश सिंह, ग्राम-शेखपुरा, पो0-बिहार वेटनरी कॉलेज, थाना-हवाई अड्डा, जिला-पटना)।
6. श्री अमरेन्द्र कुमार, कनीय अभियंता (असैनिक), जल संसाधन विभाग, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल-1 खगड़िया। (स्थायी पता-पिता-मोहन प्रसाद, ग्राम-शास्त्रीनगर, वार्ड नं0-16, पो0+थाना-अररिया, जिला-अररिया)।
7. श्री मनोहर कुमार, कनीय अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, लघु सिंचाई प्रमंडल-सीतामढ़ी। (स्थायी पता-पिता-मोहन प्रसाद, ग्राम-समराह, पो0+थाना-हवेली खड़गपुर, जिला-मुंगेर)।
8. श्री उमेश सिंह, कनीय अभियंता (असैनिक), जल संसाधन विभाग, सोन नहर प्रमंडल-बक्सर। (स्थायी पता-पिता-स्व0 शंकर सिंह, ग्राम-पचखोरी, पो0+थाना-कुदरा, जिला-कैमूर)।
9. श्री दिलीप कुमार सिन्हा, कनीय अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, प्रमंडल-पटना पश्चिम, प्रशाखा-पुनपुन। (स्थायी पता-पिता-श्री धनेश कुमार सिन्हा, ग्राम-बरबारा, पो0-नसंडा, थाना-चंडी, जिला-नालन्दा)।
10. श्री अभिषेक कुमार, कनीय अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, लघु सिंचाई प्रमंडल-बेगूसराय, (मुख्य अभियंता लघु जल संसाधन विभाग में प्रतिनियुक्त)। (स्थायी पता-पिता-श्री कृष्ण मोहन, सुशीला स्वामी सदन, सरेया, वार्ड नं0-4, थाना-गोपालगंज, जिला-गोपालगंज)।
11. श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, कनीय अभियंता (असैनिक), जल संसाधन विभाग, योजना विकास विभाग, बिहार, पटना। (स्थायी पता-पिता-श्री राजेन्द्र प्रसाद, ग्राम-विखनी बिगहा, पो0-उन्डा, थाना-सरेय, जिला-नालन्दा)।
12. श्री धनंजय कुमार, कनीय अभियंता (असैनिक), जल संसाधन विभाग, जल विज्ञान प्रमंडल-2, पटना। (स्थायी पता-पिता-श्री सिद्धनाथ प्रसाद, चाँदमारी रोड, बुद्धानगर, रोड नं0-03, कंकड़बाग, पटना)।

13. श्री अखिलेश कुमार, कनीय अभियंता (असैनिक), जल संसाधन विभाग, पश्चिमी तटबंध प्रमंडल-वीरपुर।
(स्थायी पता- पिता-श्री सिधेश्वर सिंह, ग्राम+पो0-कैथील, भाया-ओवरा, जिला-औरंगाबाद)।
14. श्री शशि कुमार, कनीय अभियंता (असैनिक), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना। (स्थायी पता-
पिता-श्री जयनन्दन बैठा, ग्राम-रसूलपुर, थाना-हसपुरा, जिला-औरंगाबाद)।
15. श्री अभिताभ भारती, कनीय अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, लघु सिंचाई, प्रमंडल-लखीसराय।
(स्थायी पता- पिता-श्री अशोक कुमार सिंह, ग्राम-खानपीटा, पो0+थाना-सबौर, जिला-भागलपुर)।
16. श्री संजय कुमार मंडल, कनीय अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, लघु सिंचाई, प्रमंडल-रोहतास
(सासाराम)। (स्थायी पता- पिता-श्री जगदीश प्रसाद, ग्राम-शांति टोला पसिया, पो0-तीनगछिया,
थाना+जिला-कटिहार)।
17. श्री शेखर कुमार, कनीय अभियंता (असैनिक), जल संसाधन विभाग, सिंचाई प्रमंडल-कटिहार। (स्थायी
पता- पिता-श्री सहदेव महाराणा, लालबाग, तिलका मौंझी, जिला-भागलपुर)।
18. श्री पंकज कुमार, कनीय अभियंता (असैनिक), जल संसाधन विभाग, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण,
प्रमंडल-पूर्णियाँ। (स्थायी पता- पिता-श्री द्वारिका प्रसाद सिंह, ग्राम-मुरली, पो0-भवानीपुर,
जिला-भागलपुर)।
19. श्री प्रदीप कुमार, कनीय अभियंता (असैनिक), जल संसाधन विभाग, मुख्य अभियंता कार्यालय बाढ़
नियंत्रण एवं जल निस्सरण, कटिहार। (स्थायी पता- पिता-श्री राजनन्दन सिंह, मो0-नया टोला,
कुम्हरार, (घेरा), पो0-लोहिया नगर, थाना-कंकड़बाग, जिला-पटना)।

चूँ-वजरिये नोटिस द्वारा आप सबों को सूचित किया जाता है कि एल0पी0ए0 संख्या-844/2016, बिहार कर्मचारी चयन आयोग बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक-06.12.2016 को पारित न्यायादेश के आलोक में दिनांक-05.10.2023 को 11:00 बजे दिन में अपना-अपना पक्ष वांछित साक्ष्य के साथ स्वयं रखेंगे। उक्त तिथि को पक्ष नहीं रखने वाले अभ्यर्थी के संबंध में यह माना जाएगा कि उक्त अभ्यर्थी को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है और उनके मामले में एक तरफा (Ex-Party) निर्णय ले लिया जाएगा।

विश्वासभाजन

mu
27.09.2023

विशेष कार्य पदाधिकारी,
बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।